न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— नेहा छीपा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—58/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला शाहपुरा।

-- प्रार्थी

बनाम

1. कुरडाराम पिता झावरराम गुर्जर निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील चुरू जिला चुरू।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 13.09.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बनेड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कांवलिया पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा की आराजी नं. 701/494 रकबा 0.2866 है0 किस्म बीड़ बंजड़ भूमि राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी द्वारा गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाकर अवैध खनन किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की गई है। जबकि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में अवैध खनन किया है जो नियम के विपरीत होने से न्यायालय नायब तहसीलदार रायला द्वारा राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए बैदखली के आदेश पारित किये जा चुके है। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध खनन कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का उल्लंघन किये जाने से ग्राम कांवलिया पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा की आराजी नं. 701/494 रकबा 0.2866 है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत बेदखल कर भूमि सिवायचक कर बहक राज्य सरकार लिये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत शपथ पत्र में निवेदन किया गया कि "मैं अप्रार्थी कुरडाराम पिता झावरराम गुर्जर निवासी कोटवाद टिब्बा तहसील चुरू जिला चुरू निवासी हूँ। ग्राम कांवलिया पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा की आराजी नं. 701/494 राजस्व रेकार्ड में मेरे नाम दर्ज है। इस आराजी पर मैने अवैध खनन किया है जो सही है। इस पर जो भी कानूनी कार्यवाही की जावे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।"

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार रायला द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत पारित बैदखली आदेश एवं तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के मनन एवं अवलोकन उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम कांवलिया पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा में स्थित अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नं. 701/494 रकबा 0.2866 है0

पर गैर कृषि कार्य करते हुए अवैध खनन किया गया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा ~~पर~~ कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जाना स्वीकार करते हुए प्रकरण नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावे तो कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः ग्राम कांवलिया पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा में स्थिति अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नं. 701/494 रकबा 0.2866 है0 भूमि को बिना अनुमति के अकृषि उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार बनेड़ा को उक्त भूमि का रिसीवर नियुक्त किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज कर कब्जेराज लिया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(पंकज छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भेजकर लेख है कि निर्णय अनुसार पालना कर रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा